[लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 154-सी

[दि सैन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) विधेयक, 2017

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) यह 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का विस्तार और संशोधन ।

2. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और केंद्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं और जारी आदेशों को, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित किया जाता है और वे उसमें प्रवृत्त होंगे । 2017 का 12

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, मूल अधिनियम में,--

(क) धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में, 'अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" संविधान के' शब्दों के स्थान पर, ' "विशेष प्रवर्ग राज्य" पद से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संविधान के' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 109 की उपधारा (6) में,--

(i) "अधिसूचना द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए, इस अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ, जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित राज्य अपील अधिकरण होगा :

परंतु यह और कि";

(iii) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 निरसित किया जाता है । 2017 का अध्यादेश सं0 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

GMGIPMRND—1685LS(CRC)—02-08-2017.